

470
2025

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सोनू शर्मा पुत्र निरंजन लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मोहनपुरा उर्फ खरखड़ा तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 470/2025

जीसीएमएस नं0 2025/857

आदेश

दिनांक 30.7.25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरखड़ा पटवार हल्का बल्लूपुरा तहसील पाटन के खाता संख्या 280, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "मोनू पुत्र निरंजन" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "सोनू शर्मा पुत्र निरंजन लाल शर्मा " दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना